विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय के विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय एवं विभागीय पुस्तकालयों में पुस्तक/जर्नल एवं ई–रिर्सोस के कय एवं व्यवस्था परक निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

1. पुस्तकालय की कय नीति

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय द्वारा विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय एवं विभागीय पुस्तकालय हेतु व्यवस्था परक एवं पुस्तक/जर्नल एवं ई–रिर्सोस कय की नीति–

(i) पुस्तक मेले में अथवा केन्द्रीय पुस्तकालय समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर वेब साइट पर उपलब्ध Requisition Form के माध्यम से पुस्तक, जर्नल एवं ई० रिर्सोस की सूची छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों से प्राप्त किये जायेगें।

(ii) Requisition Form सम्बन्धित विभागों को पुस्तक मेले के पश्चात अथवा अन्यथा की स्थिति में विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रेषित किये जायेगें।

(iii) विभागों में Requisition Form में पुस्तकों, जर्नल एवं ई० रिसोर्स का परीक्षण किया जायेगा।

(iv) विभागों से परीक्षणोंपरान्त प्राप्त Requisition Form को विश्वविद्यालय द्वारा गठित पुस्तकालय उप समिति के समक्ष पुस्तक, जर्नल एवं ई– रिर्सोस की सूची पुनः परीक्षण एवं अनुशंसा के लिये रखा जायेगा।

(v) पुस्तकालय उपसमिति की अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पुस्तकालय समिति के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखा जायेगा। जिसमें वेण्डर सहित पुस्तक क्रय की धनराशि का प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(vi) पुस्तकालय समिति का प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय के निर्देश पर विश्वविद्यालय की केन्द्रीय क्रय समिति के समक्ष रखा जायेगा ।

(vii) केन्द्रीय क्रय समिति के निर्णय के आधार पर कुलपति जी के प्रशासनिक स्वीकृत के पश्चात पुस्तकालय में क्रय की प्रक्रिया की जायेगी ।

(ix) पुस्तकों के क्रय में कुल धनराशि से "Federation of Publishers and Book Sellers Association of India" के दिशा निर्देश पर Discount भी लिया जायेगा ।

(x) विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक क्रय के संबंध में जीएफआर नियम–143 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है जी.एफ.आर. 2017 का नियम 143 के प्रमुख प्रावधान निम्नवत है :–

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

The term 'goods' used in this chapter includes all articles material, commodity livestock, furniture, fixtures, raw material, spares instruments, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircraft ships, railway rolling stock, assemblies, sub-assemblies, accessories, a group of machineries comprising of an integrated production accessories process or such other category of goods or intangible products like software technology transfer, licenses, patents or other intellectual properties purchased or otherwise acquired for the use of Government but excludes books, publication, periodicals, etc., for a library.

इस संबंध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0– NO. F 23 (7)-E,II (A)/83, Government of India , Ministry of Finance, दिनांक–7.2.1984 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक क्रय के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय ज्ञाप की प्रतिलिपि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सी0ए0जी0) को पृष्ठांकित की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में वर्णित व्यवस्था निम्नवत है :–

Attention of all the Ministries/Department of the government of India is invited to Rule 99 and 116 contained in chapter a dealing with the 'stores' in the General Financial Rules 1963. The President has been pleased to decide that hereafter the books, publications, etc of library will not be treated as an item of 'Stores' as defined in the note below rule 99 of The General Financial Rules 1963. Accordingly the provision of the said 'Note' and the Government of India's decision (1) below Rule 116 of the General Financial Rule 1963 (Third Edition) have been amended as per amendment enclosed. This issues with the approval of the Comptroller and auditor general of India and the Department of Supply.

कार्यालय ज्ञाप संख्या **O.M.NO.F.23(7)-E.II(A)/83** दिनांक 07.02.1984 तथा **Deptt.of Supply U.Go. No. I.D. No. PIII-3(5)/82** दिनांक **17.01.1983** तथा **C.A.G's U.O.No. 1964-TA.II/21-83** दिनांक 23.12.1983 के प्रस्तर–1 में निम्न व्यवस्था वर्णित है।

Librarian (Not below the rank of Deputy Secretary to the Govt. of India) subjects to the powers delegated under Delegation of Financial power Rules, 1978 may purchase book etc, from the reputed and sttandard book-sellers on the prevalent terms and conditions. Tenders need not be called for this purpose.

(2) **पुस्तक मेले का आयोजन एवं व्ययभार :–**

पुस्तक मेले का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । इसका व्ययभार स्वयं पब्लिशर व वेण्डर करेगें इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

(3) टाइटिल व संख्या का निर्धारण छात्र, शोधछात्र, शिक्षकगण द्वारा Requisition Form के माध्यम से प्रथम स्तर पर किया जायेगा इसके पश्चात विभिन्न समितियों द्वारा संस्तुत करने के उपरान्त कय हेतु अन्तिम रूप से निर्धारित किया जायेगा।

(4) कय की गयी पुस्तकें विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय में एवं विभागीय पुस्तक संम्बधित विभाग में रखी जायेगीं ।

(5) विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय , विभागीय पुस्तकालय एवं छात्रावास के पुस्तकालयों में प्रिन्ट पुस्तक, जर्नल, प्रतियोगी पुस्तक एवं ई० रिर्सोस की सुविधा होगी।

(6) विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा बुक बैंक की सुविधा परिसर के सभी पाठ्यकमों के लिये उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय समय समय पर Athor's Workshop का आयोजन करायेगा।

(8) विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय हिन्दी दिवस विवेकानन्द जयन्ती आदि का भी आयोजन करेगा।

(9) विश्वविद्यालय के सभी शोध प्रबन्धों को शोधगंगा साइट पर अपलोड का दायित्व भी विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा निभाया जायेगा।

(10) वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा आप्रेन्टिशिप बोर्ड कानपुर, नेशनल आप्रेन्टिशिप ट्रेनिगं (नैट्स) , बोर्ड आफ आप्रेन्टिशिप ट्रेनिगं, मिनिस्ट्री आफ एजूकेसन, भारत सरकार ,द्वारा पुस्तकालय प्रशिक्षुओं को 2008 से प्रति एक वर्ष के लिये पुस्तकालय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिसमें कि 50 प्रतिशत आप्रेन्टिशिप बोर्ड और 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा प्रौत्साहन राशि का वहन किया जायेगा।

15.03.23

(मानद) पुस्तकालयाध्यक्ष

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur